न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 12/2021

1 बजरंगलाल पुत्र स्व. पन्नाराम जाति जाट निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुन्झुनूं। दौराने दावा देहान्त हो गया।
1/1 किताब देवी आयु 65 साल पत्नी
1/2 रघुवीर आयु 40 साल पुत्र
1/3 रामवतार आयु 48 साल पुत्र स्व. बजरंगलाल जाति जाट निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 रामलाल पुत्र स्व. मालाराम जाति जाट निवासी भैड़ा की ढाणी तहसील व जिला झुन्झुनूं। दौराने दावा देहान्त हो गया।
1/1 दलिप आयु 38 साल
1/2 महेन्द्र सिंह आयु 47 साल पुत्रगण रामलाल जाति जाट निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुन्झुनूं।
1/3 विनोद पुत्री रामलाल पत्नी सुभाष झाझड़िया जाति जाट निवासी महरमपुर तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
1/4 हरकोरी देवी आयु 60 साल पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2 राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 बमुकदमा उनवानी रामलाल बनाम बरजंग वगै. दावा बाबत घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 156/2000 अंतिम निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 21.07.2015

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री रोहिताश कुल्हरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 15/7/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा मुकदमा नम्बर 156/2000 में पारित निर्णय दिनांक 21.07.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी द्वारा एक वाद घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 320 जिसके हाल खसरा नम्बर 1113, 1456/1112, 1111, 1457/1112 वाके ग्राम इण्डाली का पेश किया। उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं की अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 21.07.2015 जो अपीलान्ट बजरंगलाल व रेस्पोडेन्ट रामलाल की मृत्यु उपरांत अपीलान्ट को बिना सुने विधिक अवधारणा के विरूद्ध पारित कर गई है। जिससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि ग्राम इण्डाली की सरहद में पन्नाराम नामक व्यक्ति था पन्नाराम का देहान्त हुये करीब 80 साल हो गये पनाराम का देहान्त टीनेन्सी एक्ट लागु होने से पहले हो गया पनाराम का देहान्त हुआ तब अपीलान्ट मृतक बजरंगलाल मात्र 8 साल की उम्र का था पनाराम की कम उम्र में मृत्यु होने से उसकी बेवा चावली ने ग्राम भैड़ा की ढाणी में मालाराम नामक व्यक्ति से नाता विवाह कर लिया। इस प्रकार पनाराम की मात्र वैध सन्तान बजरंगलाल हुआ। बजरंगलाल का देहान्त दौराने दावा 2008 में हो गया। जिसके वारिसान अपीलान्टस है। पनाराम की मृत्यु के 7—8 महिने पश्चात ही चावली देवी माता विवाह कर ग्राम भैड़ा की ढाणी में रहने लग गयी व बजरंगलाल नाबालिग होने से अपने ताऊ ईश्वर व गणपत के साथ रहने लगा व बजरंगलाल की उम्र 11—12 साल होने पर वह सुलताना के राजपुत (ठिकानेदारों) के रहने लगा व मजदुरी व खेत काश्त करने लगा संवत

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

2005 में मृतक बजरंगलाल करिबन 18 साल का हो गया तब वह ग्राम इण्डाली में स्थित जमीन पुराना खसरा नम्बर 320 रकबा 7 बीघा 9 बिश्वा भूमि को काश्म करता था उसको ठिकानेदारों ने अपीलान्ट मृतक बरजंगलाल को काश्त हेतु बतलादी व जब जागीरदारी प्रथा समाप्त हुई तब अपीलान्ट मृतक बजरंगलाल उक्त भूमि का टीनेन्ट हो गया उक्त ठिकाने के ठाकुर महताबसिंह, फुलसिंह, खेतसिंह व बिशनसिंह पुत्र सेडुसिंह की खातेदारी में मृतक बजरंगलाल की टीनेन्सी में हो गई तथा उक्त भूमि का काबिज काश्तकार मृतक बजरंगलाल रहा व उसकी मृत्यु पर उसके वारिसान अपीलान्ट काबिज काश्त हुये। इस प्रकार पनाराम की पत्नी चावली के ग्राम भैड़ा की ढाणी के मालाराम नाम व्यक्ति से नाता विवाह करने पर मालाराम के चावली से क्रमशः रामलाल, चन्दगीराम, सुभाष और पुत्रियां जमना, गुलाब व राजकोर हुई जो मालाराम की वैध सन्तान थी इस प्रकार रामलाल मालाराम का पुत्र होने से प्रतिवादीगण मालाराम की सम्पति के उतराधिकारी कानूनन हुए। विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट मृतक रामलाल ने पनाराम का वारिस बनाकर सन 2000 में दावा पेश किया जिसमें प्राथमिक डिक्री विचारण न्यायालय द्वारा बिना किसी आधारों के दिनांक 05.08.2006 को जारी कर दी गई मृतक अपीलान्ट भोला भोला व खेतीहार होने के कारण वकील कर अपील की गई मगर उसी दरमिया नसन 2007–08 में क्रमशः अपीलान्ट बजरंगलाल व रेस्पोडेन्ट मृतक रामलाल का देहान्त हो गया व अपीलान्ट को कौन वकील था व कब क्या फैसला हुआ उसका अब तक भनक भी नहीं लगी। रेस्पोडेन्ट रामलाल भी मृत्यु होने के पश्चात उसके वारिसान पढ़े लिखे व चालाक होने से अपने पिता रामलाल की मरने की सूचना दिये बिना ही अदालत को मुगालते में रखते हुए मृतक रामलाल के हक में दिनांक 21.07.2015 को राजस्व शिविर में रेस्पोडेन्ट दलिप द्वारा दरखास्त पेशकर अंतिम व फाईनल डिक्री तैयार करवा ली व अपील जैर बहस में बिना हिस्सा काबिज रहे वगै. अपीलान्ट को धोखा देकर उक्त आराजियात का 1/2 हिस्से के गलत रूप से खातेदारी दर्ज करवा ली जबकि आराजियात पर पहले बजरंगलाल व अब उसके वारिसान काबिज काश्त है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव मंगवाने पर अपीलान्ट को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। विचारण न्यायालय द्वारा जमीन पुराना खसरा नम्बर ग्राम इण्डाली की सरहद में खसरा नम्बर 320 रकबा 3 बीघा 9 बिश्वा जिसके हाल खसरा

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नम्बर 1113 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1456/1112 रकबा 0.9250 हैक्टेयर अपीलान्ट हाल खसरा नम्बर 1111 रकबा 0.7600 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1457/1112 रकबा 0.1750 हैक्टेयर रेस्पोडेन्ट के हिस्से में गलत रूप से विचारण न्यायालय के आदेश के अनुसार खातेदारी दर्ज कर दी जबकि रामलाल (मृतक) व उसके वारिसान रेस्पोडेन्ट का उक्त आराजियात में कभी हक व हिस्सा नहीं रहा व ना ही कभी काबिज काश्त रहे व अब रेस्पोडेन्ट ग्राम इण्डाली में ठाकुर हरनारायणसिंह की जमीन में 1/2 बीघा जमीन लेकर केवल मकानात बनाकर आबाद है। रेस्पोडेन्ट मृतक रामलाल पेशन प्राप्त करता रहा जहां पर रिकार्ड में पिता का नाम मालाराम व भैड़ा की ढाणी स्थित जमीन रामलाल पुत्र मालाराम व बिजली कनेक्शन आदि में मालाराम का नाम अंकित होना यह साबित करता है कि रेस्पोडेन्ट मालाराम ग्राम भैड़ा की ढाणी का ही वासिन्दा रहा ग्राम इण्डाली में पनाराम का पुत्र केवल जमीन हड़पने के लिये बताया गया है जिसके उपर अदालत हाजा में विश्वास कर निर्णय पारित करने में भुल की है जो खारिज होने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रकरण में मुख्य विवाद वल्दीयत का है। प्रतिवादी का कहना है कि वादी पन्नाराम का पुत्र नहीं है। जब कि वादी का यह कथन है कि वह पन्नाराम का पुत्र है। वादी का यह कथन है कि विवादित जमीन को तत्कालीन ठिकाने से लगान के एवज में उनके पिता पन्नाराम ने प्राप्त की थी ओर उत्तराधिकार के आधार पर उसने जमीन को क्लेम किया है। मिसल हकियत प्रदश–8 में पन्ना खातेदारी में दर्ज है। उसके बाद बनी तमाम जमाबंदी प्रतिवादी बजरंग के नाम से है तथा खसरा गिरदावरी संवत 2009 प्रदर्श–7 में पन्ना का नाम है। इस प्रकार यह साबित है कि विवादित जमीन को पहले तत्कालीन ठिकाने से पन्नाराम ने प्राप्त की है। प्रतिवादी ने वादी को पन्नाराम का बेटा प्रदर्श–15 में माना है। प्रदर्श–15 बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट झुन्झुनूं के समक्ष प्रतिवादी के हुये है। जिसने जिरह में प्रतिवादी ने वादी को सगा भाई बताया है। ऐसी स्थिति में वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 पन्नाराम के पुत्र है तथा विवादित जमीन रिकार्ड से उत्तराधिकार में मिलना साबित है। प्रतिवादी की स्वयं की स्वीकारोक्ति है कि वादी पन्नाराम का बेटा है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

लिखावट प्रदर्श–9 से भी इस तथ्य की ताईद होती है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 पूर्व में स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जा चुका है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है प्रकरण में मुख्य विवाद वल्दीयत का है। प्रतिवादी का कहना है कि वादी पन्नाराम का पुत्र नहीं है। जब कि वादी का यह कथन है कि वह पन्नाराम का पुत्र है। वादी का यह कथन है कि विवादित जमीन को तत्कालीन ठिकाने से लगान के एवज में उनके पिता पन्नाराम ने प्राप्त की थी ओर उत्तराधिकार के आधार पर उसने जमीन को क्लेम किया है। मिसल हकियत प्रदश–8 में पन्ना खातेदारी में दर्ज है। उसके बाद बनी तमाम जमाबंदी प्रतिवादी बजरंग के नाम से है तथा खसरा गिरदावरी संवत 2009 प्रदर्श–7 में पन्ना का नाम है। इस प्रकार यह साबित है कि विवादित जमीन को पहले तत्कालीन ठिकाने से पन्नाराम ने प्राप्त की है। प्रतिवादी ने वादी को पन्नाराम का बेटा प्रदर्श–15 में माना है। प्रदर्श–15 बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट झुन्झुनूं के समक्ष प्रतिवादी के हुये है। जिसने जिरह में प्रतिवादी ने वादी को सगा भाई बताया है। ऐसी स्थिति में वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 पन्नाराम के पुत्र है तथा विवादित जमीन रिकार्ड से उत्तराधिकार में मिलना साबित है।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी की स्वयं की स्वीकारोक्ति है कि वादी पन्नाराम का बेटा है। लिखावट प्रदर्श–9 से भी इस तथ्य की ताईद होती है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15/7/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)